कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।
पत्रांक 3239 /14–10 दिनांक, अयोध्या, 6/5 /2022।

सेवा में,
Ad.S.O.

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

CCF/Nodal SAO 19/05/22

विषयः– मेसर्स टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–बाराबंकी के अन्तर्गत NATURAL GAS PIPE LINE बिछाये जाने हेतु लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 (नया–731) के चैनज–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर प्रभावित 0.4562 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा हैदरगढ़–भिटरिया मार्ग के किमी 0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर प्रभावित 0.5516 हें0 संरक्षित वन भूमि कुल–1.0078 हें0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रपोजल एफ0पी0/यू0पी0/पाइपलाइन/123162/ 2021.

सन्दर्भः– प्रभागीय निदेशक वनाधिकारी वन प्रभाग बाराबंकी का पत्रांक 4134/14–4–4 दिनांक 20–04–2022।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बाराबंकी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या की 03 प्रतियॉ संस्तुति सहित संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
5/5/22
(ड0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी,सरयू वृत्त,अयोध्या।

पृ0सं0 /उक्त दिनांक।

1– **प्रतिलिपि**–प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी वन प्रभाग को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2– **प्रतिलिपि**– प्रबन्धक टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ड0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी,सरयू वृत्त,अयोध्या।

क्रम संख्या	शर्ते	अनुपालन की स्थिति
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता दी गयी है। (बचन बद्धता संलग्नक–1)
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारें–किनारें ही बिछायें जायेंगे।	शर्त संख्या–2 का अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है। (सलग्नक–2)
3	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक न होगी।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। (संलग्नक:–3)
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। (संलग्नक:–4)
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या–5 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–5)
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या–6 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–6)
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	शर्त संख्या–7 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–7)
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त संख्या–8 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–8)
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 हेतु धनराशि रू0 965251/–मात्र COMPENSATORY AFFORESTATI ON FUND (CAF) UTTAR PRADESH में प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के द्वारा दिनांक–28.03.2022 को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली को हस्तान्तरित कर दी गई है, जिसकी जमा (Paid) चालान की प्रति संलग्न है ।(संलग्नक–9)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या–10 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–10)
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या–11 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–11)
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II (I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नही है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत समबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या–13 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक–12)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो वह पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्नकर प्रेषित किया जा चुका है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मलित नही है। प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या–16 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–13)
17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या–17 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु एन0पी0वी0 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक–9)
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या–18 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–14)
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या–19 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–15)
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिये उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।	शर्त संख्या–20 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, बचन बद्धता संलग्न है। (संलग्नक–16)
21	प्रशनगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	शर्त संख्या–21 का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।
CA amount as per proposal		-
CA amount deposited		-
Difference in amount		—
Reason for difference		—
NPV amount as per proposal		Rs.-965251.00
NPV amount deposited		Rs.- 965251.00
Difference in amount		—
Reason for difference		—
Any other amount depositer- (Complete detais be)		—
CAMPA confirmation		**Yes,** (जमा **(Paid)** चालान की छायाप्रति संलग्न है)

(रूस्तम परवेज)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग, बाराबंकी।

दिनेश कुमार /–

सेवा में, Ref:- TGPL/BAR/FOR/05-04/52 Date:-

प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी।

विषयः— जनपद बाराबंकी में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर प्रभावित 0.4562 हे0) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर प्रभावित 0.5516 हे0) कुल प्रभावित 1.0078 हे0 क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु संरक्षित वनभूमि में गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति के संबंध में। **(प्रस्ताव सं0 एफपी/यू0पी0/पाईपलाइन/123162/2021)**

सन्दर्भः— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक संख्या–14/81–2–2022–800(31)/2022 दिनांक 23.03.2022।

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	**शर्त संख्या 1,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	**शर्त संख्या 2,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2. 00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक न होगी।	**शर्त संख्या 3,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं की जाएगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	**शर्त संख्या 4,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू–क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	**शर्त संख्या 5,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	**शर्त संख्या 6,** के अनुपालन **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	**शर्त संख्या 7,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की	**शर्त संख्या 8** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

	भांति यथावत बना रहेगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या 9,** के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal के माध्यम से **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा संशोधित पत्र सं0–5–3/2011 FC(Vol-I) दिनांक 06–01–2022 तथा 19–01–2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ0प्र0, एन0ई0एफ0टी0 के द्वारा कैम्पा, खाता सं0–1509072123162488 आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड़–UBIN0903710, "यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक–11, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेस–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	**शर्त संख्या 10,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा** कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	**शर्त संख्या 11,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** के पास वैध व अधिकृत लाइसेंन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	**शर्त संख्या 12,** के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत समबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	**शर्त संख्या 13,** के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया जायेगा। प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन	**शर्त संख्या 14,** के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष

	सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है ।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	**शर्त संख्या 15,** के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	**शर्त संख्या 16,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	**शर्त संख्या 17,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	**शर्त संख्या 18,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा किया जायेगा।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	**शर्त संख्या 19,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा किया जायेगा।
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिये उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।	**शर्त संख्या 20,** के अनुपालन में **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है तथा इस कार्य के लिये उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।
21	प्रशनगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	**शर्त संख्या 21** में उल्लेखित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तों का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पालन किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

शर्त संख्या 1

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

शर्त संख्या 2

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

संलग्नक-3

शर्त संख्या 3

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं की जाएगी।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

संलग्न-4

शर्त संख्या 4

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्व है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू–क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

शर्त संख्या 5

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्व है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

शर्त संख्या 6

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारें में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा लिखित सहमति दी जाती है।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

सं०पृ०-7

शर्त संख्या 7

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

CS

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

(प्र0) ला-8

शर्त संख्या 8

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

CS

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

Status of the Payment made by User Agencies

▽ **Help**

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉**Proposals received on or after 15th July 2014** ○**All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Lucknow **Select State :** Uttar Pradesh

Select User Agency : Select

Online Help/Query **Payment Status :** ◉**Paid** ○**Unpaid** ○**All**

Bank Name : --Select All-- **Mode of Payment :** --Select All--

Transaction Date (From) : **Transaction Date (To) :**

Enter value for Search : 123162

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/123162/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/123162/2021) for Laying of Gas Pipeline along Lucknow-Sultanpur Road, NH-56 (New NH-731), (from Ch. No. 54.86 to Ch. No. 64.00, RHS) and along Haidergarh-Ramsanehi Ghat (SH-13) Road (from Ch. No. 0.00 to Ch. No. 11.23, LHS) in District: - Barabanki	PIPELINE1231622021488	24 Mar 2022	**CA:** 0/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 965251/-, **Total :**965251/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 25 Mar 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 26 Mar 2022 **Transaction Date** : 28 Mar 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/250320221203248663_FPUPPipeline1231622021_User Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=PIPELINE123162

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

सं०-9

शर्त संख्या 9 व 17

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण की धनराशि रू0 965251.00 ई–चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं0	विवरण / मद	धनराशि (रू0में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू0टी0आर0 नं0
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या–9 व 17 के अनुपालन में संरक्षित वनभूमि 1.0078 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (भारत सरकार के पत्र सं0–5–3 / 2011 FC(Vol-I) दिनांक 06–01–2022 तथा 19–01–2022 के अनुसार 9.57790 लाख प्रति हे0 की दर से) / (एन0पी0वी0)	965251.00 रूपये	आर.टी.जी.एस.	28.03.2022	BARBD22087379674
	योग–	965251.00 रूपये			

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS ... LIMITED

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-03-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
Application No.	72123162488
MoEF/SG File No.	P-14/81-2-2022-800(31)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI,AHMEDABADAhmedabad
Amount(in Rs)	965251/-

Amount in Words :Nine Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509072123162488 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-03-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
Application No.	72123162488
MoEF/SG File No.	P-14/81-2-2022-800(31)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI,AHMEDABAD Ahmedabad
Amount(in Rs)	965251/-

Amount in Words :Nine Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509072123162488 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Payment made by Torrent Gas Pvt. Limited againts NPV

Sr.	Description	Details
1	Date	28-03-2022
2	Beneficiary Name	UTTAR PRADESH CAMPA
3	RBI/UTR Reference Number	BARBD22087379674
4	Amount	Rs. 965251.00
5	Beneficiary Account Number	1509072123162480
6	IFSC Code	UBIN0903710

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED.

संलग्नक-10

शर्त संख्या 10

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

शर्त संख्या 11

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** के पास वैध व अधिकृत लाइसेंन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

(for-plantations on non-forest land and notified as" protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of District Collector, Barabanki
No. 1116 A-U-A II ......Dated 16-4-2022

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) Second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **1.0078 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Torrent Gass Pvt. Ltd. Lucknow** for Laying of Gas Pipeline in the district falls within the jurisdiction of Barabanki District, Uttar Pradesh Lucknow-Sultanpur Road NH-56 (New NH-731) (Form Ch. No. 54.86 To Ch No-64.00 RHS) and Haidergarh-Ram Sanehighat Road (SH-13) (Ch. No. 0.00 To Ch No. 11.23 LHS), having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

(a) The Protected Forest (s) namely Lucknow-Sultanpur Road NH-56 (New NH-731) and Haidergarh-Ram Sanehighat Road (SH-13) involved in the above village are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 3208/14 dated 13-08-1955 and 1115/14-331-50 dated-10-02-1960.

(b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (Residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन प्रभाग
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

District Magistrate
Barabanki

शर्त संख्या 16

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

संलग्नक 1

शर्त संख्या 18

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0व0 प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

शर्त संख्या 19

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा** इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा।

C.S

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0व0 प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

संख्या- 51.360/14-2-2011

प्रेषक,

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 07 जनवरी 2011

विषयः सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने के शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(1)- सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाईप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय,शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है,उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी।

(2)- ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाईप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित पढ़ा जाय।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवांही हेतु

प्रेषितः-

1- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

2

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक– 814 /14 –1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 23/10/2021।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु शर्त के क्रम में 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रॉक 784/11–सी लखनऊ दिनॉक 07.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी0जी0पी0एल0/टी0जी0एम0एल0) लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय के Ref No:- TGPL/TGML/FOR/LKO/2021/46 दिनॉक 22.10.2021 के माध्यम से सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के अन्तर्गत 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राक्कलन की वॉछित **धनराशि रूपये 8241000.00(रूपये बयासी लाख इकतालीस हजार मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट संख्या 007060 दिनॉक 22.10.2021 इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– 814 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी0जी0पी0एल0/टी0जी0एम0एल0) साईबर हाईट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस (टी0जी0पी0एल0/टी0जी0एम0एल0) मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

सल०-16

शर्त संख्या 20

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** द्वारा (लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग एन0एच0–56 नया एन0एच0–731 के चैनेज सं0–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर) व (हैदरगढ़–भिटरिया रोड एस0एच0–13 चैनेज सं0–0.00 से 11.23 के मध्य बांयी पटरी पर) जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा** इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है तथा इस कार्य के लिये उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 प्रभाग
बाराबंकी

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0